

राजस्थान सरकार
नगर नियोजन विभाग
कार्यालय मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर।

नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर के अधीन वरिष्ठ प्रारूपकार एवम् कनिष्ठ प्रारूपकार के सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह भर्ती राजस्थान नगर नियोजन अधिनस्थ सेवा नियम, 1974 के प्रावधानान्तर्गत की जायेगी।

भरे जाने वाले पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार है :-

(८) **वरिष्ठ प्रारूपकार (Senior Draughtsman) :**
कुल रिक्त पद : 5 (पाँच)

वेतनमान :- रनिंग पे बैण्ड-2 (9300-34800); ग्रेड-पे संख्या-11 (रुपये 3200/-)

क्र.सं.	श्रेणी	सामान्य	महिला	कुल
1.	अनारक्षित	3	1	4
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	1
3.	अनुसूचित जाति	0	0	0
4.	अनुसूचित जनजाति	0	0	0
5.	विशेष पिछड़ा वर्ग	0	0	0
कुल योग:-		4	1	5
विकलांग : शून्य (दण्डवत)				
भूतपूर्व सैनिक : शून्य (दण्डवत)				

(९) **कनिष्ठ प्रारूपकार (Junior Draughtsman) :**
कुल रिक्त पद : 8 (आठ)

वेतनमान :- रनिंग पे बैण्ड-1 (5200-20200); ग्रेड-पे संख्या-9 (रुपये 2400/-)

क्र.सं.	श्रेणी	सामान्य	महिला	कुल
1.	अनारक्षित	5	2	7
2.	अन्य पिछड़ा वर्ग	1	0	1
3.	अनुसूचित जाति	0	0	0
4.	अनुसूचित जनजाति	0	0	0
5.	विशेष पिछड़ा वर्ग	0	0	0
कुल योग:-		6	2	8
विकलांग : शून्य (दण्डवत)				
भूतपूर्व सैनिक : एक (दण्डवत)				

नोट :-

- महिलाओं के लिए आरक्षित पद हेतु पात्र और उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इसे पुरुष अभ्यर्थी द्वारा भरा जावेगा।
- राजस्थान सेवा नियमों के वर्तमान प्रावधानानुसार उक्त पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण तिथि से दो वर्ष के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में रखा जायेगा एवं परिवीक्षा की कालावधि के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मासिक नियत पारिश्रमिक (वरिष्ठ प्रारूपकार :- रुपये 10,000/- एवम् कनिष्ठ प्रारूपकार :- रुपये 7900/-) संदत्त किया जायेगा। परिवीक्षा के दौरान वार्षिक वेतनवृद्धि एवं किसी प्रकार का अवकाश अर्जित नहीं होगा।
- उपरोक्त नियुक्तियों के संबंध में राजस्थान सेवा नियम, 1951य राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2008 एवं राजस्थान सिविल सेवा(अंशदायी पेंशन)नियम, 2005 के प्रावधान लागू होंगे।

आयु :-

आवेदन-पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला अभ्यर्थियों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट देय होगी।

आवेदन शुल्क :-

- (क) सामान्य वर्ग व क्रीमीलेयर के पिछड़ा वर्ग/विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु –
रुपये 250/- ;
- (ख) राजस्थान के नॉन क्रीमीलेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग एवम् विशेष पिछड़ा वर्ग के आवेदक हेतु –
रुपये 150/- ;
- (ग) समस्त निःशक्तजन तथा राजस्थान की अजा/अजजा के आवेदक हेतु –
रुपये 100/- ;

पोस्टल ऑर्डर ख्वरिष्ठ नगर नियोजक (मुख्यालय), राजस्थान, जयपुर के नाम देय, द्वारा (बैंकर्स-चैक/ड्राफ्ट मान्य नहीं)।

न्यूनतम योग्यताएं एवं अर्हताएं :-

(५) वरिष्ठ प्रारूपकार :-

- (1) स्थापत्यकला में इंटरमीडियेट या किसी मान्यता प्राप्त संस्था से स्थापत्यकला में सहायक का डिप्लोमा (तीन वर्षीय पाठ्यक्रम)।

या

ड्राफ्ट्समैन (सिविल) में पॉलिटैक्निक डिप्लोमा। साथ ही नगर नियोजक/वास्तुविद के कार्यालय में ड्राफ्ट्समैन में रूप में एक वर्ष का अनुभव।

या

नेशनल काउन्सिल ऑफ वोकेशनल ट्रेड (एन.सी.वी.टी.) से ड्राफ्ट्समैन (सिविल) का प्रमाण-पत्र। साथ ही नगर नियोजन/वास्तुविद के कार्यालय में ड्राफ्ट्समैन के रूप में तीन वर्ष का अनुभव।

परन्तु यह कि उपरोक्त पद की योग्यता के पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिये पात्र होगा, किन्तु उसे नियुक्ति प्राधिकारी को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

- (2) देवनागरी लिपि में लिखित हिन्दी का व्यावहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान :

(५) कनिष्ठ प्रारूपकार :-

- (1) ड्राफ्ट्समैन (सिविल) में पॉलिटैक्निक डिप्लोमा

या

नेशनल काउन्सिल ऑफ वोकेशनल ट्रेड (एन.सी.वी.टी.) से ड्राफ्ट्समैन (सिविल) का प्रमाण-पत्र। साथ ही नगर नियोजन/वास्तुविद के कार्यालय में अनुरेखक के रूप में दो वर्ष का अनुभव।

परन्तु यह कि उपरोक्त पद की योग्यता के पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा, जो सीधी भर्ती के लिए नियमों या अनुसूची में यथा उल्लिखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के लिये पात्र होगा, किन्तु उसे नियुक्ति प्राधिकारी को साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत प्रस्तुत करना होगा।

- (2) देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान एवं राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान।

नोट :-

1. ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसके पश्चात् दो से अधिक बच्चे हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:-

परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती:

परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वतर प्रसव से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।

2. ऐसे विवाहित अभ्यर्थी (क) जिन्होंने अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार किया हो, अथवा (ख) जिनके एक से अधिक जीवित पति/पत्नियों हों; सेवा के पात्र नहीं होंगे।

आवेदन पत्र :-

आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 31 जनवरी, 2012 होगी। अन्तिम तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन पत्र सादा कागज पर टंकित कर प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक है :-

1. जन्म-तिथि प्रमाण पत्र (सैकण्डरी का प्रमाण पत्र)।
2. निर्धारित योग्यता की सभी वर्षों की अंकतालिकाएँ।
3. जाति प्रमाण पत्र।
4. विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हो तो)।
5. कुल संतानों का शपथ-पत्र (जन्म तिथि सहित)।
(अविवाहित होने की स्थिति में अविवाहित होने एवं संतान न होने का शपथ-पत्र)
6. विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करने एवम् एक से अधिक जीवित पति/पत्नियों नहीं होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।
7. वर्तमान में यदि किसी विभाग में पदस्थापित हैं तो उस विभाग/संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र।

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएँ :-

1. अभ्यर्थी द्वारा समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रति लगाया जाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।
2. सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भेजना आवश्यक है, इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जावेगी और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।
3. आवेदन पत्र पर अभ्यर्थी का पासपोर्ट साईज फोटो (6 माह से अधिक पुराना न हो), फोटो पर अभ्यर्थी के हस्ताक्षर एवं राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए।
4. विज्ञापन प्रसारित होने के पश्चात् विभाग द्वारा पदों की संख्या में वृद्धि अथवा कमी की जा सकती है।
5. निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं न्यूनतम हैं एवं इन योग्यताओं के होने से ही अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु बुलाए जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं। प्राप्त आवेदन-पत्रों की संख्या अधिक होने एवं इन सभी अभ्यर्थियों का साक्षात्कार सुविधाजनक या सम्भव नहीं होने की स्थिति में विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम योग्यताओं से उच्च योग्यताओं के आधार पर साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में यथोचित सीमा तक कमी की जा सकती है।
6. पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र निर्धारित तिथि को सायं 06:00 बजे तक मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान जयपुर (जेएलएन मार्ग, बिड़ला मन्दिर के सामने) के कार्यालय में व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड डाक द्वारा आवश्यक रूप से प्राप्त हो जाने चाहियें।
7. आवेदन-पत्र का प्रारूप नगरीय विकास विभाग की वेबसाईट <http://udhrajasthan.gov.in/ctp.asp> पर उपलब्ध है।

मुख्य नगर नियोजक राजस्थान,
जयपुर।

नगर नियोजन विभाग, राजस्थान, जयपुर।

वरिष्ठ प्रारूपकार/कनिष्ठ प्रारूपकार के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र
(जो लागू न हो, उसे काट दें)

आवेदन की अन्तिम तिथि :
31 जनवरी, 2012

अभ्यर्थी अपनी जाति का उल्लेख सामने वाले संबंधित कॉलम में करें।	अनारक्षित		अपिव		अनुसुचित जाति		अनुसुचित जनजाति		विपिव	
	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला

uohure
ikliksVZ lkbZt
QksVks]
QksVks ij
vH;FkhZ ds
gLrk{kj ,oa
jktif=r vf/kdkjh

- (क) नाम हिन्दी में (बड़े अक्षरों में) श्री/श्रीमती/कुमारी
- (ख) छंउम पद म्दहसपी ;फ़ ठस्क्ज़ स्मज्मैद्ध डतण्डतेण्डडेण.....
- जन्म दिनांक: अंकों में:—..... शब्दों में:—.....
(हाई स्कूल/सैकण्डरी/हा.सै. के प्रमाण-पत्र के अनुसार)
- विज्ञापन के अनुसार निर्धारित दिनांक (आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तिथि) को आयु :—
वर्ष माह दिन
- पिता/पति का नाम:—
- (क) वर्तमान डाक का पूरा पता:—
(जहाँ आप पत्र व्यवहार चाहते हैं)
सम्पर्क सूत्र : (1) निवास (2) मोबाइल
- (ख) स्थाई निवास का पता:—
सम्पर्क सूत्र : (1) निवास (2) मोबाइल
- शुल्क का विवरण (अभ्यर्थी स्वयं भरें) कार्यालय प्रयोग हेतु

डाक घर का नाम	पोस्टल ऑर्डर सं.	दिनांक	राशि (रूपये)

'kqYd :- -----

izklr gqvk rFkk
fnukad

dks tek fd:k x:kA

नोट :- पोस्टल ऑर्डर को रेखांकित करना, उस पर अपना नाम/पता व वरिष्ठ नगर नियोजक(मुख्यालय) राजस्थान, जयपुर लिखना न भूलें तथा कॉउन्टर फाइल अपने पास ही रखें।

7. शैक्षणिक योग्यताएँ :-

परीक्षा जो उत्तीर्ण की हैं।	बोर्ड/ विश्वविद्यालय का नाम	संकाय का नाम एवम् विषय	वर्ष	श्रेणी	प्राप्तांकों का प्रतिशत	संलग्न प्रमाण पत्रों की नत्थी सं.
1	2	3	4	5	6	7
मैट्रिक/ हाईस्कूल/ सैकण्डरी						
शिक्षा में स्नातक						
अन्य कोई उपाधि/ डिप्लोमा/ पी.जी.						

8. यदि आपने पहले कहीं कार्य किया है या कहीं कार्यरत हैं तो उसका प्रारम्भ से अब तक का विवरण नीचे दीजिए। (यदि स्थान कम रहे तो अलग से विवरण संलग्न करें) :-

पद का नाम	नियुक्ति अधिकारी का पद, नाम एवं विभाग	पद ग्रहण का दिनांक	पद छोड़ने का दिनांक	अस्थाई/ स्थाई	वेतनमान एवं वर्तमान मूल वेतन	संलग्न प्रमाण पत्र नत्थी संख्या

9. जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, उस पद के लिए क्या आप पहले कभी उम्मीदवार रहे हैं? यदि हाँ तो उसका पूर्ण विवरण लिखें।

विभाग सहित पदनाम	वर्ष	संवीक्षा परीक्षा/साक्षात्कार का परिणाम

मैं एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि कि मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार उपरोक्त सभी प्रविष्टियाँ सच्ची, पूर्ण और सही हैं।

दिनांक :

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

10. यदि कोई अन्य विशेष योग्यता/अनुभव प्राप्त हो और इस पद के चयन में सहायक हो तो उसका पूर्ण विवरण दें।

11. क्या आपको दण्डित, पदच्युत या ब्लैक लिस्ट किया गया है? यदि ऐसा है तो वह धारा जिसके अन्तर्गत दण्डित किया गया और जो दण्ड दिया गया उसे वर्णित करें।

आवेदक द्वारा हस्ताक्षरयुक्त घोषणा

मैं, भारत का/की नागरिक हूँ तथा मेरा निवास स्थान राज्य में है। मैं एतद्द्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी और विश्वास है, इस आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ सत्य, पूर्ण एवं सही हैं। मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त सूचना यदि गलत या झूठी पाई जाये या चयन से पूर्व अथवा बाद में मेरी अपात्रता का पता चल जाए तो विभाग मेरे विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही कर सकता है।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर

नाम :

पता :

आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की सत्यापित छायाप्रतियां संलग्न करें।
(हाँ/नहीं में अंकित करें।)

जन्म-तिथि प्रमाण पत्र (सैकण्डरी का प्रमाण पत्र)।	हाँ/नहीं
निर्धारित योग्यता की सभी वर्षों की अंकतालिकाएँ।	हाँ/नहीं
जाति प्रमाण पत्र।	हाँ/नहीं
विवाह का पंजीयन प्रमाण पत्र (यदि विवाहित हो तो)।	हाँ/नहीं
कुल संतानों का शपथ पत्र (जन्म तिथि सहित)। (अविवाहित होने की स्थिति में अविवाहित होने एवं संतान न होने का शपथ-पत्र)	हाँ/नहीं
विवाहित अभ्यर्थियों द्वारा अपने विवाह के समय दहेज स्वीकार नहीं करने एवम् एक से अधिक जीवित पति/पत्नियों नहीं होने के सम्बन्ध में शपथ-पत्र।	हाँ/नहीं
वर्तमान में यदि किसी विभाग में पदस्थापित हैं तो उस विभाग/संस्था का अनापत्ति प्रमाण पत्र (मूल)।	हाँ/नहीं

नोट :-

1. अभ्यर्थी द्वारा समस्त अभिलेखों की प्रमाणित प्रति लगाया जाना अनिवार्य है, जिसके अभाव में उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।
2. सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों को अपने विभागाध्यक्ष से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त कर भेजना आवश्यक है, इसके अभाव में आवेदक को साक्षात्कार की अनुमति नहीं दी जावेगी और उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जावेगी।